

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/36/2022

हंसीरा पत्नी रसीद ग्राम धीमरी तहसील पहाडी

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाडी।

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 12.07.2022

अपीलार्थी हंसीरा पत्नी रसीद ग्राम धीमरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाडी के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाडी से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाडी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/335 दिनांक 08.06.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाडी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (उप पंजीयक) पहाडी का जबाब पत्र क्रमांक/पंजीयन/101 दिनांक 28.06.2022 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2022 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी प्रार्थी ने " प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत बचित्र सिंह पुत्र करतार सिंह के हक में ख.न. 1727 गैर मुमकिन खार ग्राम धीमरी का तस्दीक हुआ उसके साथ संलग्न मुख्तारनामा, जमाबन्दी, प्रार्थना पत्र सहित समस्त दस्तावेजों की प्रति एवं उक्त बयानामा दिनांक 11.4.12 लेख पत्र पुस्तक सं. 1 जिन्द सं 184 के

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(2)

अपील/आरटीआई/36/2022
हंसीरा बनाम उप पंजीयक पहाड़ी

पृष्ठ सं. 33 की क्रम सं. 625 की नकल चाही गई है। "लोक सूचना अधिकारी उप पंजीयक पहाड़ी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि "..... बयानामा दिनांक 10.4.2012 को पंजीबद्ध हुआ है जिसे 10 वर्ष से अधिक समय हो गया तथा वांछित रिकार्ड प्रार्थना पत्र आदि को ऑडिट तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है इसके बाद बयानामा के अतिरिक्त सभी सलंगन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाता है.....।" अपीलार्थी बिन्दू सं. 2-बयानामा दिनांक 11.4.12 लेख पत्र पुस्तक सं. 1 जिन्द सं. 184 के पृष्ठ सं. 33 की क्रम सं. 625 की नकल सूचना भी चाही गई है। अतः उप पंजीयक पहाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति अपीलान्त को (उप पंजीयक पहाड़ी से प्राप्त पत्रादि की फोटोप्रति सहित) एवं उप पंजीयक पहाड़ी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर